न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 177/2015 जीसीएमएस नम्बर 2015/00125

1. जयपुर विकास प्राधिकरण, कार्यालय इन्द्रा सर्किल, जयपुर जरिये प्रभारी अधिकारी।

—अपीलान्ट

बनाम

1. हनुमान पुत्र सेडु, जाति अहीर, निवासी दातरंता की ढाणी, ग्राम रिसाणी, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर
2. नाथु पुत्रान सेडू (फोत)

   2/1 भूराराम पुत्र स्व. नाथु

   2/2 रामचन्द्रपुत्र स्व. नाथु

   2/3 बाबुलाल पुत्र स्व. नाथु

   2/4 छोटी देवी पत्नी श्री नाथु

   2/5 नाना देवी पुत्री स्व. श्री नाथु

   2/6 मुना देवी पुत्री स्व. श्री नाथु निवासी दातरंता की ढाणी, ग्राम रिसाणी, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर

3. प्रभात पुत्र रमस्या (मृतक दौराने सुनवाई)

   3/1 मन्नी देवी पत्नी स्व. प्रभात

   3/2 कानाराम पुत्र स्व. प्रभात समस्त जाति अहीर, निवासी दातरंता की ढाणी, ग्राम रिसाणी तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर

   3/3 सुमनप्रकाश पुत्र स्व. प्रभात

   3/4 भूरी पुत्री स्व. प्रभात

   3/5 माली पुत्री स्व. प्रभात

   3/6 बिमला पुत्री स्व. प्रभात समस्त जाति अहीर, निवासी दातरंता की ढाणी, ग्राम रिसाणी, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

4. सोहन पुत्र रमस्या
5. मंगल चन्द्र पुत्र रमस्या
6. मोती लाल पुत्र रमस्या
7. सीताराम पुत्र रमस्या समस्त जातियान अहीर, निवासी दातरंता की ढाणी, ग्राम रिसाणी, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।
9. भैरूलाल गुर्जर पुत्र श्री रामनिवास गुर्जर, आयु 64 वर्ष, निवासी ग्राम रिसानी, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर दिनांक 22.12.2014

उपस्थित–

1. श्री हीरालाल सैनी वकील अपीलान्ट
2. श्री लालचन्द जाट वकील रेस्पो0 1 व 2/1 से 2/3 एवं 3 लगायत 7 की ओर से।
3. श्री सुमेर सैनी वकील रेस्पो0 9 की ओर से।
4. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पो0 8 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–12.06.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 22.12.2014 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेरके समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 प्रस्तुत कर वाके ग्राम रिसानी तहसील रामपुरा डाबडी जिला–जयपुर में स्थित खसरा नं 219 के सेटलमेन्टदौराने नये खसरा नम्बर बनाने के पश्चात् 567 रकबा 0.08 खसरा नम्बर 569 रकबा 0.08 खसरा नम्बर 571 रकबा 0.05 खसरा नम्बर 573 रकबा 0.05 को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के कारण बाबत् दुरूस्ती हेतु प्रार्थना की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 567, 569, 571, 573 कुल किता 4 रकबा 0.26 है0 को पूर्व खसरा नं. 219 का ही भाग मानकर 0.26 है0 भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम हटाकर प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने के आदेश दिनांक 22.12.2014 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 22.12.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी आमेरदिनांक 22.12.2014 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पो० के साबिक खसरा न0 219 के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा न0 266/1055, 5687, 572, 570, 574 एवं 566 बनाये गये है किन्तु खसरा न0 567,569, 571 एवं 573 रकबा 0.26 है० साबिक खसरा न0 219 से नहीं बने है किन्तु फिर भी अधिनस्त न्यायालय ने अपीलांट के नाम से खातेदारी हटा कर रेस्पो० के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश देने में भूल की है । तहसीलदार की रिर्पोट से भी स्पष्ट है कि भूमि खसरा न० 567 एवं 573 गै0 मु० रास्ता पूर्व से दर्ज है मौके पर पक्की सडक बनी हुई है तथा उक्त रास्ता चालू है उक्त रास्तो की भूमि अपीलान्ट के नाम से दर्ज है उक्त चारो खसरा न0

संभागीय आयुक्त
जयपुर

567, 569 571 एवं 573 का रकबा 0.26 है तथा उक्त सम्पूर्ण रकबा रेस्पो० के खातेदारी में दर्ज हो जाने से कारण रैस्पो० के पास साबिक रकबे से भी अधिक भूमि हो जाती है जबकि किसी भी स्थिति में साबिक रकबे से अधिक रकबा को नहीं दिया जा सकता किन्तु उपरोक्त चारो खसरा नम्बर रास्ते की भूमि के है तथा अपीलांट के नाम दर्ज हे तहसील रिर्पोट में भी उक्त खसरा न० पर पक्का रास्ता बना हुआ है तथा आवा गमन चालू है तथा आम लोगो के काम आता है प्रस्तुत प्रकरण धारा 136 की परिधी में भी नहीं आता है इस प्रकार के निर्णय राजस्व मण्डल व उच्च न्यायालय से भी पारित हो चुके है किन्तु उच्च न्यायालयो की अनदेखी कर जो निर्णय पारित किया वह बिना क्षेत्राधिकार होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वास्तविक तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर निर्णय दिनांक 22.12.2014 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया किकृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 219 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा जिसके हाल सैटलमेन्ट दौरान खसरा नम्बर 266/1055, 5687, 572, 570, 574, 566 बनाये गये, उक्त कृषि भूमि के साबिक राजस्व रिकार्ड मे रमस्या, हनुमान, नाथू पुत्रान् सेडू जाति अहीर काबिज रिकार्डड खातेदार काश्तकर दर्ज है। तथा हाल सैटलमेन्ट कार्य के दौरान साबिक खसरा नम्बर 219 के नये नम्बर बनाने के पश्चात् सैटलमेन्ट कर्मियों ने खसरा नम्बर 567 रकबा 0.08 खसरा नम्बर 569 रकबा 0.08 खसरा नम्बर 571 रकबा 0.05 खसरा नम्बर 573 रकबा 0.05 उक्त खसरा नम्बरान की भूमि को मनमर्जी से गैरमुमकीन रास्ता दर्ज कर दिया जबकि मौके पर कोई रास्ता नही है व खसरा नम्बर 571 व 569 मे जो तथाकथित रास्ता बनाया गया है व प्रार्थी के खेतों के बीच मे से बनाया गया हैं तथा उक्त दर्शाया गया तथाकथित रास्ता न तो मौके पर पहले था और न ही वर्तमान मे है तथा उक्त स्थान पर कभी भी रास्ता नही रहा तथा खसरा नम्बर 567 व 573 में दर्शाया गया रास्ता भी प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मे से बनाया गया रास्ता है जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी मे ही दर्ज होना चाहिए था तथा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार भी उक्त खसरा नम्बर की भूमि खसरा नम्बर 219 का भाग ही है उक्त भूमि को सिवाईचक भूमि गलत रूप से दर्ज करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज करदी गई जबकि यह भूमि सरकारी सवाईचक भूमि कभी भी नही रही है तथा साबिक खसरा नम्बर 219 का ही भाग है जिसके सरकारी भूमि दर्ज करने का कार्य अवैध है इस प्रकार सैटलमेन्टकर्मियों द्वारा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर किया गया कार्य है जो तथ्यो व कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है जो कि एक लीपीकीय त्रुटि है जिसको ठीक किया जाना आवश्यक है। जिस बाबत् प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिवत् ही अपीलांट के नाम दर्ज भूमि को हटाकर प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रार्थना की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् सभी तथ्यों की जॉच एवं रिकॉर्ड के अवलोकन के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्मत है जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित में नकल दिनांक

संभागीय आयुक्त
जयपुर

14.07.2015 को प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद ग्राम रिसाणी तहसील रामपुरा डाबडी जिला–जयपुर में स्थित खसरा नम्बर खसरा नं खसरा न0 567 569, 571 एवं 573 रकबा 0.26 है० के दौराने सेटलमेण्ट गैर मु0 रास्ता दर्ज होने को लेकर है। प्रार्थी द्वारा भूमि कम अंकित होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 के तहत् पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 567, 569, 571, 573 कुल किता 4 रकबा 0.26 है0 को पूर्व खसरा नं. 219 का ही भाग मानकर 0.26 है0 भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम हटाकर प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने के आदेश दिनांक 22.12.2014 को दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् केवल राजस्व रिकॉर्ड में रही लिपिकीय त्रुटि या स्वीकृत त्रुटियों को ही परिशोधित किये जाने का प्रावधान है अगर किसी काश्तकार की भूमि कम या ज्यादा हो रही है तो यह धारा 136 में प्रावधित नहीं है। इसके लिए पक्षकार सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के तहत अनुतोष प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर का अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जयपुर का निर्णय दिनांक 22.12.2014 निरस्त किया जाता है तथा उक्त विवादग्रस्त भूमि राजहित में वापिस प्रार्थी जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज की जावे।

(डॉ. आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर